

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी

जोगेन्द्रसिंह (RAS)

प्रकरण सं० - 53/19

दायर दिनांक 04-07-2019

अमृतसिंह उर्फ अमृतलाल पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी ग्राम
छोकरवाडा कला तहसील - भुसावर (राज०)

----- वादी

बनाम

- 1. भूपेन्द्रसिंह 2. सत्यवीर 3. अजीत पुजान रामचन्द्र
- 4. पिकी उर्फ पिन्यो पुत्री मोहनलाल 5. दिगम्बर पुत्र मोहनलाल
- 6. दिगम्बर पुत्र मोहनलाल 6. पूनम पत्नी राम प्रकाश
- 7. आकाश पुत्र राम प्रकाश 8. विकास पुत्र राम प्रकाश नाबा० दोनो
जाटिये माता पूनम पत्नी राम प्रकाश जातिघान जाट
निवासी ग्राम छोकरवाडा कला
- 9. राज० सरकार जिरये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर

----- प्रतिवादीगण

प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RJA
अधिवक्ता - छोटेलाल भीमा - वादी

निर्णय दिनांक 5.4.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RJA
का संश्लेषित विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं० 2124 ख०
0.20 हे० वादी 113 हे० व प्रतिवादी सं० एक लगामत 3 1/3 हे०
प्रतिवादी सं० 485 वाहिजा बराबर 113 हे० है तथा
आ० ख० नं० 162 ख० 0.21, 293 ख० 0.12, 2161
ख० 0.11, 2164 ख० 0.15, 2165 ख० 0.13, 2170
ख० 0.09, 2330 ख० 0.19, 2342 ख० 0.14, 2355
ख० 0.10, 2356 ख० 0.11 किल 10 ख० 1.35 हे० में
वादी 1132 हे० व प्रतिवादी सं० एक लगामत 3 वाहिजा
बराबर 1132 हे० तथा प्रतिवादी सं० 485 वाहिजा

अधिवक्ता अधिकारी बरखर 516 हे० व आ० ख० नं० 252 ख० 0.04
258/284 ख० 0.02 हे० में वादी लगामत 316 हे० व

उपरोक्त आराजी वाली सामल एवं प्रति वादीगण से
 1. लगभग 8 की अविभाजित आराजी है जिसका अभी
 तक वादी सामल एवं प्रति वादीगण जो कायमान के मध्य
 कार्य भी इस एड्ड बाऊल विभाजन अभी तक नहीं
 हुआ है। चान्दु प्रतिवादी गण बहुत ही चहु (एवं
 चालक विभाग के वारिस है जो वादी सामल को
 उनके हिल्ले की आराजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त
 नहीं करने देते। अतः वादी द्वारा ला के सला बलवाद
 जयपे अल्लवर्ष विवे धाडा के पावन कोने बचत
 विवेदन किया है।

पार्थी का प्रार्थना - पत्र प्राप्त होने पर इस
 किल्ले का अ-प्रार्थना की तपनी जयपे अल्लवर्ष
 विवे धाडा अविभाजित डाक द्वारा की गई वाद तामील
 को इस उपलक्षित नहीं होने पर उनके विषय में एड्ड प्रार्थना
 कार्य बाह्य आमल में लाई गई।

हमने अविभाजित जयपे को सुना गया एवं पत्रवाली
 में प्रकृत दस्तावेजी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया
 जिससे प्रथम इतरण मामला एवं सुविधा का संशुद्धन
 वादी सामल के हक में प्रति होगा है।

अतः पार्थी का प्रार्थना - पत्र स्वीकार किया गया
 है तथा इस न्यायपालिका द्वारा जारी अल्लवर्ष
 विवे धाडा दिनांक 29. 07. 2019 ता के लला
 वाद कन्फर्म की जाती है। पत्रवाली किल्ले सुभा
 होना संभवतः मूल रूप है।

निर्णय आज दिनांक 5. 11. 22 को किया गया
 जयपे सुनाया गया।

जयपे लिट
 उपलक्षित अधिकारी
 मुसावर (भरतपुर)